राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 481 / 2022
GCMS No. 2022/861

1. जयप्रकाश पुत्र बनवारी उम्र 59 साल जाति जाट निवासी गादली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
2. सन्तोष देवी पत्नी स्व. सुभाषचन्द्र उम्र 50 साल जाति जाट निवासी गादली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
3. प्रदीप कुमार पुत्र सुभाषचन्द्र उम्र 30 साल साल जाति जाट निवासी गादली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
4. प्रवीण कुमार पुत्र सुभाषचन्द्र उम्र 28 साल साल जाति जाट निवासी गादली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
5. सुरेन्द्र पुत्र बनवारी उम्र 37 साल साल जाति जाट निवासी गादली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

.......आवेदकगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

ब–ना–म

1. ओमदेवी उर्फ ओमवती पत्नी हरिसिंह उम्र 55 साल जाति राजपूत निवासी गादली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
2. कुन्दन सिंह पुत्र सवाई उम्र 65 55 साल जाति राजपूत निवासी गादली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
3. कृष्ण सिंह पुत्र सवाई सिंह उम्र 45 साल 55 साल जाति राजपूत निवासी गादली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0 हाल आबाद नजदीक मधुकर महाविद्यालय लुहारू रोड़, सुरजगढ़
4. बबली देवी पत्नी बलबीर उम्र 38 साल जाति कुमावत निवासी निवाजनगर नारनौल हाल आबाद गादली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
5. रेखा पत्नी गिरवर जाति राजपूत निवासी भनाई तहसील राजगढ जिला चूरू
6. रतनी देवी पत्नी रमेश कुमार जाति कुम्हार निवासी कुम्हारों की ढाणी तन् गादली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
7. शान्ति पत्नी रामकुमार उम्र 60 साल जाति जाट निवासी राधु की ढाणी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
8. सुनिल पुत्र हरिसिंह उम्र 23 साल जाति राजपूत निवासी गादली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
9. सुरेन्द्र सिंह पुत्र हरिसिंह उम्र 25 सा[illegible] जाति राजपूत निवासी गादली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
10. बिजेन्द्र कुमार पुत्र ब[illegible] उम्र 40 [illegible] साल जाति राजपूत निवासी गादली तहसील बुहाना जिला [illegible]
11. सिलोचना पुत्री बनवा[illegible] जाट निवासी गा[illegible]सील बुहाना हाल आबाद कासनी तहसील सुरजगढ जिला झुन्झुनूं, राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:56:54 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

12. सुरेश पुत्री बनवारी पत्नी राजकरण जाति जाट निवासी गादली तहसील बुहाना हाल आबाद कासनी तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनूं, राज0
13. कृष्णा पुत्री बनवारी पत्नी सुरेन्द्र जाति जाट निवासी गादली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0 हाल आबाद कादमा तहसील बढडा जिला दादरी, हरि0
14. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड शाखा सिंघाना जरिये शाखा प्रबन्धक।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

......अनावेदकगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)</u>

<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

<u>उपस्थित अधिवक्ता</u> :–

1. श्री मुकेश चौधरी — आवेदकगण की ओर से
2. श्री प्रवीण कुमार — अनावेदक सं. 1 से 3 की ओर से

दिनांक 05–07–2023

:: निर्णय ::

यह आवेदन पत्र आवेदकगण की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम गादली तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नंबर 138 रकबा 0.07 है., ख.नं. 139 रकबा 0.06 है., ख.नं. 140 रकबा 8.61 है. कुल किता 3 कुल रकबा 8.74 है. के आवेदकगण खातेदार काश्तकार है जो अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज एवं काश्त हैं। आवेदकगण की भूमि ख.नं. 140 के दक्षिण तरफ अनावेदक सं. 1 से 10 की खातेदारी भूमि ख.नं. 145 स्थित है तथा उक्त ख.नं. 145 के दक्षिण में एक कटानी रास्ता मौजूद है जो गादली से बेरला को जाता है। आवेदकगण की भूमि ख.नं. 140 व उक्त कटानी रास्ते के मध्य अनावेदकगण सं. 1 लगा. 10 की भूमि ख.नं. 145 स्थित है। आवेदक की भूमि ख.नं. 138, 139, 140 को काश्त करते हैं तथा फसल काटने लाटने व बाजार ले जाने के लिए कोई कटानी रास्ता नहीं है तथा ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था रास्ते की है। उक्त भूमि के लिए रास्ता की आवश्यकता है। खसरा नंबर 138 रकबा 0.07 है., ख.नं. 139 रकबा 0.06 है., ख. नं. 140 रकबा 8.61 है. के दक्षिण में से खसरा नंबर 145 की पश्चिमी सीमा के सहारे– सहारे दक्षिण में स्थित रास्ते ख.नं. 140 तक 16 फुट चौड़ा रास्ता की आवश्यकता है जिससे की आवेदकगण अपनी खातेदारी की भूमि में प्रवेश कर सके। आवेदकगण उक्त रास्ते के काम आने वाली भूमि के बाबत नियमानुसार डी.एल.सी. की दुगुनी राशि या भूमि के बदले भूमि देने को तैयार व तत्पर हैं। आवेदकगण द्वारा रास्ते को नजदीक नक्शे में लाल सुर्ख रंग से मार्क ए व [illegible] है। इसलिए आवेदकगण की भूमि ख.नं. 138, 139, 140 के लिए रास्ता नहीं होने [illegible]दकगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति है जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं [illegible]

अतः आवेदन पत्र प्रस्तु[illegible] ग्राम गादली तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नंबर 138 [illegible] 139 रकबा 0.06 है., ख.नं. 140 रकबा 8.61 है. कुल किता 3 कुल रकबा 8.74 है. के लिए ख.नं. 145 के पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे दक्षिण में स्थित रास्ते तक 16 फुट चौड़ा रास्ता जिसको नजरी नक्शा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:56:54 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

मार्क ए व बी से दर्शाया गया है दिलाया जाकर उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश अनावेदक सं. 15 को किया जाकर मौके पर उक्त रास्ता कायम किये जाने के आदेश करने की कृपा करें।

आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अनावेदकगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अनावेदक सं. 1, 3, 4 व 7 लगा. 10 की ओर से इकबाली जवाब आवेदन प्रस्तुत कर आवेदकगण को रास्ता दिया जाता है तो अनावेदकगण को कोई आपत्ति नहीं है, यह जाहिर किया है।

अनावेदकगण सं. 5, 6 व 11 से 15 बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार, बुहाना से विवादित भूमि के सम्बंध में मौका कब्जा काश्त व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, बुहाना ने जरिये पत्र क्रमांकः भू.अ./2023/1294 दिनांक 26.04.2023 से भू–अभिलेख निरीक्षक वृत बड़बर की मूल मौका रिपोर्ट मय नक्शा किश्तवार संलग्न कर भिजवाई है जो निम्नानुसार है :–

1. आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यांतिक है तथा वह जोत के मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है।
2. पहुंचने के वैकल्पिक साधनों का अभाव है।
3. नक्शे में दर्शाया गया प्रस्तावित रास्ता निकटतम व लघुत्तम है।
4. प्रस्तावित रास्ते में वृक्ष इत्यादि एवं निर्माण नहीं है।
5. प्रस्तावित रास्ता खसरा नंबर 145 रकबा 1.03 है. के पश्चिमी सीमा पर 140 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौड़ाई क्षेत्रफल 700 वर्गमीटर है।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक वृत बड़बर का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक वृत बड़बर ने अपनी रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में स्पष्ट किया है कि आवेदकगण को प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है। प्रस्तावित रास्ते (नजरी नक्शा में दर्शित) के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम दूरी का रास्ता पहुंच के लिए उपलब्ध नहीं है। आवेदकगण को खसरा नंबर 138, 139, 140 में पहुंचने हेतु नजरी नक्शे में लाल स्याही से अंकित मार्ग निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्तें में आनी वाली भूमि का क्षेत्रफल 700 वर्गमीटर बनता है। आवेदकगण के पास अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 138, 139, 140 में आने–जाने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। इस प्रकार आवेदकगण का आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के प्रावधानों की पूर्ति करता है। अतः आवेदकगण का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:56:54 IST
Reason: SelfAttested

अतः मुताबिक मौका रिपोर्ट भू–अ[illegible]रीक्षण वृत बड़बर के संलग्न नजरी नक्शा के आवेदकगण का [illegible] जाकर वाके ग्राम गादली तहसील बुंहाना स्थित भूमि खसरा नं[illegible] 139, 140 [illegible]ाने के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक वृत बड़बर की मौका रिपोर्ट के [illegible] में लाल स्याही से अंकितानुसार कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। [illegible] पक्षकारान प्रतिकार की रकम पर आपस में सहमत नहीं हुए है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान DLC की दर से 700 वर्गमीटर भूमि की दुगुनी राशि आवेदकगण तहसीलदार, बुहाना के समक्ष जमा करवायेंगे।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

तहसीलदार, बुहाना खसरा नंबर 145 के खातेदारों/अनावेदकगणों को प्रतिकार की राशि नियमानुसार अदा करेंगें। तद्नुसार भूमि खसरा नंबर 145 के रकबे में से रास्ते की बाबत 700 वर्गमीटर भूमि निर्वापित कर राजस्व रिकार्ड में किस्म ''गैर मुमकीन रास्ता'' के रूप में राजकीय खाते में अभिलिखित करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 05-07-2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:56:54 IST
Reason: SelfAttested